

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3-5(5)स्थाना/राजपत्रित/अभि/2023/1358-87 जयपुर, दिनांक: 06.10.2023

आदेश

गृह विभाग के आदेश प. 16(19)(1)विविध/अभि/2020 दिनांक 29.09.2023 द्वारा अभियोजन सेवा का पुनर्गठन किया गया है। उक्त पुनर्गठन में निम्न अभियोजन अधिकारी के पदों को सहायक निदेशक अभियोजन के पद एवं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद को अभियोजन अधिकारी में क्रमोन्नत किया गया है। पदों को क्रमोन्नत करने की स्थिति में उक्त पदों पर पदस्थापित अधिकारीगण को क्रमोन्नत पद पर निम्नानुसार पदस्थापित (वर्तमान वेतन पर) किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्रीमती सुमन कालवा	अभियोजन अधिकारी ए०टी०एस० एण्डएस०ओ०जी० पुलिस मुख्यालय	सहायक निदेशक अभियोजन ए०टी०एस० एण्डएस०ओ०जी० पुलिस मुख्यालय	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध
2.	भंवर कुलदीप राठौड	अभियोजन अधिकारी पुलिस मुख्यालय, अपराध शाखा, जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, पुलिस मुख्यालय, अपराध शाखा, जयपुर	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध
3.	श्रीमती मोना चौहान	अभियोजन अधिकारी, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	सहायक निदेशक अभियोजन पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध
4.	श्री छोटूलाल माली	अभियोजन अधिकारी, नगरीय विकास विभाग (रेरा)	सहायक निदेशक अभियोजन नगरीय विकास विभाग (रेरा)	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध
5.	श्री रमेश कुमार चौधरी	अभियोजन अधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर महानगर	सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर महानगर	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध
6.	सुश्री अदिति शर्मा (विकलांग)	सहायक अभियोजन अधिकारी, सीआईडी (सीबी) पुलिस मुख्यालय, जयपुर महानगर	अभियोजन अधिकारी, सीआईडी (सीबी) पुलिस मुख्यालय, जयपुर महानगर	कॉर्डर रिव्यू पर पद विरुद्ध

इसके अलावा एसीजेएम (पीसीपीएनडीटी) एवं एसीजेएम (रेल्वे) न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी अग्रिम आदेश तक पूर्वानुसार पैरवी कार्य करते रहेंगे।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)
एवं निदेशक अभियोजन